न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–54/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/54

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. गिरीराज सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह		1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री अमर सिंह जी
2. नारायण सिंह पुत्र स्व. श्री अमर सिंह		2. हनवंत सिंह पुत्र स्व. श्री अमर सिंह जाति– राजपुत निवासीगण खरल, तहसील सायला, जिला जालौर।
3. जातियान– राजपुत, निवासीगण खरल तहसील सायला, जिला जालौर,		3. ग्राम पंचायत, ओरवाला पंचायत समिति सायला जिला जालौर।
		4. तहसीलदार सायला जिला जालौर।

अपील अंतर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक 07.07.2021 अपील संख्या 05/2010 सुरेन्द्र सिंह बनाम हनवन्त सिंह में उपखंड अधिकारी सायला नामांतरणकरण संख्या 250 दिनांक 05.04.2008 के विरुद्ध आदेश पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: निर्णय ::

दिनांकः– 2.12.2024

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

1. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला प्रकरण संख्या 05/2010 बअनवान सुरेन्द्रसिह बनाम हनवन्तसिह वगैरा में निर्णय दिनांक 07.07.2021 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. वहस वकुलाय सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने वहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

5. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2021 सर्वथा गलत, गैर कानूनी, अस्पष्ट एवं अनियमितता पूर्ण है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पाडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 5/2010 (5/2016) स्वीकार करने में भारी कानूनी गलती की है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में नामांतरणकरण संख्या 250 को रद्द किये बिना ही अपील स्वीकार करने का आदेश पातिर किया है जो सर्वथा गलत एवं गैर कानूनी है।

अधीनस्थ न्यायालय को गोद बाबत आदेश पारित करलने का अधिकार नहीं होने के बावजूद अपीलांट नारायण सिंह का नाम राजस्व रिकोर्ड से हटाने बाबत आदेश पारित किया है जो सर्वथा गलत एवं गैर कानूनी है।

अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 सुरेन्द्र सिंह की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अवधि अधिनियम पर आदेश पारित किये बिना ही अपील स्वीकार करने का आदेश पारित किया है जो सर्वथा गलत एवं गैर कानूनी है।

रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट गिरीराज सिंह द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 8/2017 में जो जवाब दावा प्रस्तुत किया है, उसमें अपीलांट गिरीराज सिंह का 1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त स्वीकृति के बावजूद अपीलांट संख्या 1 गिरीराज सिंह को पक्षकार नहीं बनाकर जो आदेश पारित किया है, वह सर्वथा गलत व गैर कानूनी है। अपीलांट गिरीराज द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे की प्रमाणित प्रतिलिपियां अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिताजी स्व. श्री अमर सिंह जी ने अपीलांट संख्या 1 गिरीराज सिंह एवं रेस्पोडेंट संख्यसा 1 व 2 के पक्ष में दिनांक 22.03.2005 को जो वसीयतनामा निष्पादित कर रजिस्टर्ड करवाया था, उसकी सही प्रतिलिपि अपील के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय में भी रजिस्टर्ड वसीयतनामे की छायाप्रति प्रस्तुत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश नियम 10 सी.पी.सी. पर विचार किए बिना ही प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। ऐसा प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किए बिना एवं विवाद को बिना समझे ही अपील का निस्तारण कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील सर्वथा गलत एवं गैर कानूनी है जो कि अपास्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरणकरण संख्या 250 को निरस्त किए बिना ही रेस्पोडेंट संख्या 1 की अपील को स्वीकार करने का आदेश पारित किया है। नामांतरणकरण संख्या 250 को अपास्त किए बिना कानूनन अपील स्वीकार ही नहीं की जा सकती थी।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ न्यायालय ने स्व. श्री अमर सिंह के पुत्रों एवं पुत्रियों के पक्ष में नामांतरणकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को मामला रिमांड करके अपीलांट गिरीराज सिंह वगैरा के पक्ष में स्व. श्री अमर सिंह द्वारा निष्पादित वसीयत के संबंध में भी आदेश पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मूलभूत रूप से अनियमित होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर प्रस्तुत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने म्याद बाहर अपील की देरी को माफ किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट गिरीराज सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र के उल्लेखित तथ्यों को कंसीवर किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि अपास्त किए जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अवधि अधिनियम स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का कोई आधार आदेश में अंकित नहीं किया है। ग्राम पंचायत ओटावला द्वारा नामांतरणकरण संख्या 250 स्वीकृत करते समय रेस्पोडेंट संख्या 1 को सूचित किया गया था। रेस्पोडेंट संख्या 1 को स्वीकृत किए गए नामांतरणकरण की शुरू से जानकारी रही है। वादग्रस्त जमीन मौके पर तीन हिस्सों में विभाजित है एवं तीनों हिस्सेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज है।

स्व. श्री अमर सिंह जी पुत्रियों ने अपने पिता की कृषि भूमि में न तो कोई अधिकार क्लैम किया है एवं न ही नामांतरणकरण संख्या 250 को चुनौती दी है। स्वच श्री अमर सिंह जी ने जब अपने दो पुत्रों एवं पौत्र के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कर दिया था तो ऐसी स्थिति में स्व. श्री अमर सिंह जी की पुत्रियों का उपरोक्त वादग्रस्त जमीन में कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुत्रियों का नाम दर्ज करने का आदेश देने में भारी कानूनी भूल की है।

अधीनस्थ न्यायालय में स्व. श्री अमर सिंह जी की पुत्रियों के द्वारा अपील नहीं करने के बावजूद उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह सर्वथा गलत एवं गैर कानूनी होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट संख्या 1 ने भी अपनी बहिनों के पक्ष में नामांतरणकरण स्वीकृत करने की कोई प्रार्थना नहीं की थी, उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने स्व. श्री अमर सिंह जी की पुत्रियों का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, वह सर्वथा गलत एवं गैर कानूनी होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

2/4/2024

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अपीलांट संख्या 1 गिरीराज सिंह द्वारा अपनरे अधिकारों की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत कर रखा है। उक्त वाद के विचाराधीन रहते

अपील स्वीकार किए जाने का एवं अपीलांट संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड करवाये गए वसीयतनामे को नजरअंदाज करते हुए अन्य वारिसों का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण कानूनी एवं तथ्यात्मक भूल की है। अपीलाधीन आदेश इस आधार पर भी अपास्त किए जाने योग्य है।

अतः अपीलांट्स की तरफ से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील अपास्त किया जावें। अपीलांट संख्या 1 के अधिकारों बाबत निर्धारण करने का आदेश पारित किया जावें। अन्य आदेश जो अपीलांट के पक्ष में हो पारित किया जाना कानूनन एवं न्याय संगत हो पारित किया जावें।

6. रेस्पोडेण्टस के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

सरहद मौजा खरल पटवार हल्का ओटवाला तहसील सायला में खसरा नं. 601, 602, 606, 607, 608, 609, 610, 611,612 की जमीन आयी हुयी है। वर्तमान में उक्त आराजी का खसरा नं. 601,602,606,607,608 ,609,610,611,612 कुल खसरा 9 कुल रकबा 4.23 हैक्टर में अपीलान्ट स. 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा उनकी माता समदर कंवर सह खातेदार के रूप में नाम दर्ज है। समन्दर कंवर की मृत्यु दिनांक 12.9.2014 ग्राम खरल में हो चुकी है।

हमारे पिताजी अमरसिंह पुत्र भोमसिंह का स्वर्गवास दिनांक 30.12.2007 ग्राम खरल में हो गया था और उनकी फौत के बाद उनकी भूमि का नामान्तरणकरण 250 खोला गया। उपरोक्त आराजी में अमरसिंह पुत्र भोनसिंह के 1/2 हिस्से में अपीलाण्ट संख्या 2 नारायण सिंह ने पटवारी हल्का ओटवाला से मिलावट कर नामान्तरकरण में अपना नाम अमर सिंह पुत्र भोनसिंह के वारिसान के रूप में दर्ज करवा दिया। जबकी अपीलाण्ट संख्या 2 नारायण सिंह को हमारे माता–पिता ने अपने जीवनकाल में ही जीवित रहते हुए दिनांक 30.02.1984 को श्रीमती मोहन कंवर बेवा भीकसिंह राजपूत (चम्पावत) निवासी रणसी गॉव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर को गोद दे दिया था। जिसकी गोदनामा पंजीयन दिनांक 30.02.1984 को उप पंजीयन अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर में पंजीबृद्ध है। इसलिए अमरसिंह पुत्र भोनसिंह की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में नामान्तरकरण में रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 एवं माता समदर कंवर का नाम दर्ज होना चाहिए था। चुंकी अपीलाण्ट संख्या 2 नारायण सिंह सन् 1984 को श्रीमती मोहन कंवर बेवा भीकसिंह राजपूत (चम्पावत) निवासी रणसी गॉव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के गोद चला गया था। इस तथ्य को अमरसिंह की मृत्यु के पश्चात् नारायण सिंह ने छुपाया तथा पटवारी हल्का ओटवाला से मिली–भगत कर अमर सिंह पुत्र भोनसिंह की मृत्यु के पश्चात् फौतगी नामान्तरकरण में अपना नाम बाले–बाले अमर सिंह

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

के वारिसान के तौर पर दर्ज करवा दिया था। जो गैर कानूनी है। चुकी नारायण सिंह गोद जा चुका था इसलिए अमर सिंह के हिस्से की भूमि 1/2 में अपीलाण्ट संख्या 2 नारायण सिंह कोई भी कानूनन अधिकार नहीं रखता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार जब कोई खातेदार बिना कोई वसीयत किये हुये मर जाता है। तो उसकी जमीन में नामान्तरणकरण उसके व्यक्तिगत कानून के तहत खोला जाता है। जबकी अमर सिंह ने अपने खरीद की हुई भूमि में नारायण सिंह के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की। चुकी नारायण सिंह सन् 1984 में मोहन कंवर बेवा भीकसिंह जाति राजपूत चम्पावत निवासी रणसी गॉव तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के गोद चला गया था तथा आज दिनांक तक नारायण सिंह भीकसिंह के उत्तराधिकारी के रूप में उनकी चल–अचल सम्पति का उपयोग व उपभोग भी कर रहा है। तथा उनके भीकसिंह के दत्तक पुत्र के रूप में सामाजिक कार्यों को सम्पन्न भी कर रहा है। इसलिए वह अमर सिंह पुत्र भोनसिंह का वारिसान उत्तराधिकारी नहीं हो सकता है।

उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सामलाती आराजी है। उक्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का ही कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट संख्या 2 नारायण सिंह ने दिनांक 03.11.2016 को कहाँ की उक्त आराजी में मेरा राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबन्दी में मेरा नाम दर्ज है, मै उक्त भूमि को ऊँची किमतो पर गुण्डा तत्वो को बैचान कर दूंगा। रेस्पोडण्ट तब जाकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और मेरे पिता की मृत्यु के पश्चात् खोला गया नामान्तरणकरण संख्या 250 की नकल हल्का पटवारी ओटवाला से दिनांक 04.11.2016 को मांगी तब मुझ अपीलान्ट को दिनांक 04.11.2016 को वर्तमान जमाबन्दी एवं नामान्तकरण की नकल प्राप्त की। इस दिनांक से पूर्व रेस्पोडेण्ट को कभी विवादित म्यूटेशन की जानकारी नहीं हुई है। अपीलान्ट व्यापारिक आदमी है तथा अपने व्यापार हेतु अधिकतर समय बाहर रहता है। इनका परिवार उक्त आराजी पर कब्जा काश्त है। रेस्पोडेण्ट निरक्षर व ग्रामीण आंचल में रहने वाला व्यक्ति है। इसलिए राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियो की जानकारी नहीं रही है। चुकी रेस्पोडेण्ट कानून में आस्था रखने वाला व्यक्ति है।

अतः निवेदन है कि नामान्तरणकरण संख्या 250 दिनांक 05.04.2008 को निरस्त किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तरकरण संख्या 250 अपने निर्णय में निरस्त नही किया गया है। अपीलाण्ट संख्या 1 नारायणसिह का कथन है कि उनके पिता अमरसिह की वसीयत अनुसार गिरीराजसिह पुत्र नारायणसिह उनके प्रार्थना पत्र प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करके पक्षकार बनाया जाना विधि सम्मत था जो नही बनाया जाकर अकारण ही खारीज किया गया है। एवं इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । सम्पति अमरसिह की स्वअर्जित सम्पति थी जिसे अमरसिह अपनी

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

2/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

इच्छा से विधिक रूप वसीयत करने में सक्षम थे। इस प्रकार उन्हे अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाकर सुनवाई का अवसर ही नही दिया। वकील रेस्पोंडेण्टस का कथन है कि अमरसिंह की मृत्यु के बाद वारिसान हनवन्तसिंह,सुरेन्द्रसिंह,नारायणसिंह व पत्नि समन्दरकंवर रहे थे। नारायणसिंह मोहनकंवर बेवा भीकसिंह जाति राजपूत निवासी रणसी तहसील बिलाडा गोद चला गया है तथा पत्नि समन्दकर कंवर की मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार अब वारिसान दो पुत्र ही रहे है इस प्रकार म्युटेशन संख्या 250 खारीज फरमाते हुए मृतक अमरसिंह के विधिक वारिसान हनवन्तसिंह व सुरेन्द्रसिंह के नाम से म्युटेशन भरवाने के आदेश प्रदान करावे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है इसलिए निर्णय को यथावत रखा जावे।

7. पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलीयों का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि

1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सायला द्वारा अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार करके सुनने का अवसर नही दिया गया एवं न ही सी.पी.सी के प्रावधान अनुसार सुना गया है। इस प्रकार उक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

2) प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तकनीकी रूप से ठीक नही है। क्योकि प्रकरण कि पृष्ठ भूमि में सृजित मूल ना. करण संख्या 250 निरस्त किये बिना अपील निर्णय में पारित निर्देशो की पालन तकनीकी रूप से संभव नही हो सकती है।

3) प्रकरण में हस्तगत अपील में मूल पुरूष अमरसिंह द्वारा विवादित आराजी वर्ष 1961 में 1/2 स्वयं के नाम एवं 1/2 रेस्पोडेण्ट सं. 2 हनवतंसिह के नाम से क्रय करना बताया गया है। साथ ही पक्षकारो के कथनो से यह भी जांच का विषय है कि यह सम्पति क्रय करने के समय क्या हनुवतंसिह की आयु मात्र10 वर्ष आयु होकर क्या वह नावालिग थे, क्या उनका स्वयं का कोई निजी आय स्त्रोत था,क्या यह सम्पति उनकी स्वयं की धन राशि से क्रय की गई थी। जैसाकि न्याायिक दृष्टांत एआईआर(39) 1952 पेज सं0 28 जेठाराम बनाम हजारीमल में यह निर्धारित किया गया है कि यदि नाबालिग के नाम से बिना निजी आय स्त्रोत के एवं निजी धन राशि के बिना कोई सम्पति क्रय की जाती है तो वह सम्पति उनकी स्वयं की नही मानी जाकर बेनामी मानते हुए वास्तविकता में क्रय करने वाले उसके पिता अथवा अन्य संबधित व्यक्ति की सम्पति मानी जावेगी। यही स्थिति वर्तमान हस्तगत प्रकरण में है। इस बाबत भी पर्याप्त जांच की जानी जरूरी है। इस प्रकार यदि यह सम्पति सम्पूर्ण स्वअर्जित प्रमाणित होती है तो वसीयत के प्रभाव को भी विरासत नामान्तरकरण के समय देखा जावेगा।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला के प्रकरण संख्या 05/2010 दिनांक 07.07.2021 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सायला को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को सुना जाकर तथा अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पुनः पारित करै। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

2/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 02.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

2/12/2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

Scanned with OKEN Scanner